सं. 11012/3/2008-पीसीआर(डेस्क)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

***

वर्ष 2016 के लिए अस्पृश्यता के उन्मूलन और अनुसूचित जातियों विरुद्ध अत्याचार के अपराधों का डटकर मुकाबला करने में उत्कृष्ट क्षेत्रीय कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

वर्ष 2006 में शुरू किए गए, अस्पृश्यता के उन्मूलन और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों के अपराधों का डटकर मुकाबला करने के लिए, उत्कृष्ट क्षेत्रीय कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार को प्रक्रिया संहिता द्वारा विनियमित किया गया था। कार्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्रक्रिया संहिता में 19 अक्टूबर, 2016 से संशोधन किया गया है और संशोधित प्रक्रिया को इस मंत्रालय की बेवसाइट अर्थात www.msje.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, उक्त क्षेत्रों में अनुकरणीय सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के चार क्षेत्रों नामतः उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में उत्कृष्ट गैर-सरकारी संगठनों या मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार के अंतर्गत व्यैक्तिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 2.00 लाख रुपये की राशि और गैर-सरकारी संगठनों को 5.00 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

2. तदनुसार, वर्ष 2016 के पुरस्कार हेतु नामांकन संशोधित प्रक्रिया संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किसी भी संरूप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः-

i. भारत सरकार के मंत्रालय। प्रस्ताव पर कम-से-कम संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

ii. संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव या संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन सहित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

iii. संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा सांसद और संबंधित राज्य के राज्य सभा सांसद।

iv. पिछले पांच वर्षों से, साफ-सुथरी छवि सहित, अनुसूचित जातियों के विकास हेतु कार्यरत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन, न कि स्क्रेनिंग कमेटी या चयन समिति का सदस्य।

3. **31 दिसम्बर, 2016 तक** इस मंत्रालय में प्राप्त, वर्ष 2016 के लिए पुरस्कार हेतु नामांकनों पर विचार किया जाएगा। संशोधित संहिता की धारा-III के पैरा 3 (पुरस्कार की अवधि) के अनुसार, केवल हाल ही की उपलब्धियों अथवा नामांकन से तत्काल दो वर्ष के भीतर किए गए योगदानों पर पुरस्कार हेतु विचार किया जाएगा और पुरस्कार के लिए नामांकन की तिथि से दो वर्ष से अधिक पुरानी गतिविधि के लिए यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

4. नामांकन **श्री के.एम.टेंभुर्णे, सहायक निदेशक (पीसीआर), पीसीआर डेस्क, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं. 721-ए, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, फोन सं. 011-23386981** को भेजे जाएं। इस मामले में यदि कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह भी उक्त अधिकारी से प्राप्त करें।

5. संबंधित व्यक्तियों और संगठनों को यह भी सूचित किया जाता है कि वर्ष 2006 से वर्ष 2014 तक के लिए पुरस्कार हेतु प्राप्त, प्रोसेस किए गए/प्रोसेस न किए गए, नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

***

अनुबंध-I

अस्पृश्यता को दूर करने और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों से निपटने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु गैर-सरकारी संगठनों की के नामांकन के लिए प्रपत्र

1. गैर-सरकारी संगठन का पूरा नाम, पदनाम और पूरा पता

2. निजी अथवा किराये के परिसर में कार्य कर रहा है

3. संचार के अन्य माध्यम
   (i) लैंडलाइन फोन नं0
   (ii) मोबाइल नं0
   (iii) फैक्स नं0
   (iv) ई-मेल पता

4. विशेषज्ञता का क्षेत्र
   (कृपया उद्देश्यों और उप-विधियों सहित ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद संलग्न करें)

5. मूल संगठन/पंजीकृत निकाय का नाम (पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

6. प्रबंधक समिति और इसके सदस्यों की योग्यता का ब्यौरा

7. प्रबंधक समिति में अनुसूचित जाति के सदस्यों का प्रतिशत

8. गैर-सरकारी संगठनों के कर्मचारियों की कुल संख्या

9. वार्षिक आम सभा की बैठक के पिछले तीन वर्षों के कार्यवृत्त की प्रतियां संलग्न करें ।

10. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें संलग्न करें

11. पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित लेखों की प्रतियां संलग्न करें

12. वित्त पोषण के स्रोत का उल्लेख करें

13. वह तारीख जिस दिन प्रबंधक समिति के सदस्यों का अंतिम चुनाव किया गया

14. अस्पृश्यता को मिटाने और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों के अपराधों को रोकने के क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में किए गए उत्कृष्ट कार्य के ब्यौरे का उल्लेख करें

15. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान का ब्यौरा, यदि कोई हो (प्रशस्ति पत्र संलग्न करें)

16. पुरस्कार का औचित्य

अनुबंध-II

अस्पृश्यता को दूर करने और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों से निपटने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं के नामांकन के लिए प्रपत्र

1. पूरा नाम और पता

2. संपर्क के अन्य माध्यम
   (i) लैंडलाइन फोन नं0
   (ii) मोबाइल नं0
   (iii) फैक्स नं0
   (iv) ई-मेल पता

3. शैक्षिक योग्यता

4. अध्ययन/अनुसंधान का विषय

5. विशेषज्ञता का क्षेत्र

6. व्यावसायिक अनुभव का ब्यौरा (क्षेत्र और कालक्रमानुसार वर्षों की संख्या)

7. अस्पृश्यता और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों से निपटने के क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य के ब्यौरे का उल्लेख करें

8. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान का ब्यौरा यदि कोई हो, (प्रशस्ति पत्र संलग्न करें)

9. पुरस्कार का औचित्य

प्रक्रिया संहिता
19 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी यथा संशोधित

अस्पृश्यता उन्मूलन और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार अपराधों का डटकर मुकाबला करने में उत्कृष्ट क्षेत्रीय कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
www.socialjustice.nic.in

विषय - सूची

क्रम सं0	खण्ड	पृष्ठ संख्या
I	पुरस्कार विवरण	1
II	पुरस्कार के लिए पात्रता	2
III	पुरस्कार की आवधिकता	3
IV	प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की सक्षमता	4
V	प्रस्तावों का मूल्यांकन	5
VI	प्रस्तावों की स्क्रीनिंग	6-7
VII	पुरस्कार प्राप्तकर्ता का चयन	8-9
VIII	पुरस्कार प्रदान करना	10
IX	सामान्य	11
	अनुबंध-I	12-13
	अनुबंध-II	14

खंड - I: <u>पुरस्कार विवरण</u>

1. राष्ट्रीय पुरस्कार उन गैर-सरकारी संगठनों या वैयक्तिक मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं को दिया जाएगा, जिन्होंने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (पी.सी.आर.एक्ट) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (पी.ओ.ए. एक्ट) के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन और अत्याचार अपराधों का मुकाबला करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है।

2. प्रत्येक वर्ष चार पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे । किसी वैयक्तिक कार्यकर्त्ता को दिए जाने वाले पुरस्कार में 2.00 लाख रुपए की राशि और किसी संस्थान को दिए जाने वाले पुरस्कार में 5.00 लाख रुपए की राशि होगी । पुरस्कार देश के चार क्षेत्रों अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम प्रत्येक में इन क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाले उत्कृष्ट गैर-सरकारी संगठनों या मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं को प्रदान किए जाएंगे ।

3. पुरस्कार को संयुक्त रूप से प्रदान किया जा सकता है या एक प्राप्तकर्त्ता या संगठन से अधिक भी इसमें भागी हो सकते हैं, यदि जूरी किसी निश्चित वर्ष में इन्हें मान्यता हेतु समान रूप से सुपात्र समझती हो ।

4. पुरस्कार सामान्यतः मरणोपरांत नहीं दिए जाएंगे। तथापि यदि किसी की जूरी को प्रस्ताव भेजने के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पुरस्कार इस संहिता में उल्लिखित तरीके द्वारा मरणोपरांत प्रदान किया जाए।

5. इस उद्देश्य के लिए गठित स्क्रीनिंग समिति और अन्ततः चयन समिति निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा पुरस्कार के लिए नामित/संस्तुत गैर-सरकारी संगठनों और वैयक्तिक मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं की उपलब्धियों पर विचार करेगी । अस्पृश्यता उन्मूलन और अत्याचार अपराधों का मुकाबला करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट क्षेत्रीय कार्य, पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता की पहचान करने में मुख्यतः विचारणीय होगा ।

खंड - II: <u>पुरस्कार के लिए पात्रता</u>

1. पुरस्कार वंश, जाति, लिंग या पन्थ के भेदभाव या पक्षपात के बिना सभी भारतीय गैर-सरकारी संगठनों और मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं के लिए खुले हैं ।

2. पुरस्कार हेतु पात्रता के लिए सामान्य रूप से यह आवश्यक होगा कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संहिता के भाग-IV के अनुसार मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं की लिखित में संस्तुति की गई हो ।

3. छानबीन समिति और चयन समिति द्वारा पुरस्कार के लिए वैयक्तिक आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

खंड - III: <u>पुरस्कार-अवधि</u>

1. पुरस्कार को वर्ष 2016 से शुरू किया जाएगा और इसके बाद यथासंभव प्रत्येक वर्ष इन्हें प्रदान किया जाएगा। तथापि, कतिपय प्रशासनिक और कार्यात्मक कारकों के कारण यह पुरस्कार कई वर्षों के लिए एक साथ प्रदान किया जा सकता है।

2. यदि पाया जाता है कि प्राप्त हुए किसी भी प्रस्ताव में गुणवत्ता नहीं है, तो छानबीन समिति और चयन समिति पुरस्कार को उस वर्ष के लिए रोक रखने के लिए स्वतंत्र है ।

3. केवल हाल ही की उपलब्धियों या नामांकन के प्रारंभ के तत्काल दो वर्ष के भीतर के योगदान पर ही पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा । तथापि पुराने कार्य पर भी विचार किया जा सकता है यदि इसकी सार्थकता केवल हाल ही में स्पष्ट हुई हो। यह पुरस्कार उस कार्यकलाप की सराहना में प्रदान नहीं किया जाएगा जो इस पुरस्कार के लिए नामांकन की तारीख से दो वर्षों से अधिक पुराना है।

खंड - IV: <u>प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की क्षमता</u>

1. पुरस्कार के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की पात्रता इस प्रकार होगी :

(i) भारत सरकार के मंत्रालय। यह प्रस्ताव, न्यूनतम संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना अपेक्षित है।

(ii) संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव अथवा संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

(iii) संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य, लोक सभा तथा संबंधित राज्य के संसद सदस्य राज्य सभा।

(iv) पिछले पांच वर्षों से साफ-सुथरे प्रत्यय पत्र के साथ अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कार्यरत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन तथा जो छानबीन समिति अथवा चयन समिति के सदस्य नहीं हैं।

2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त उपखंड-I के प्रावधानों के अनुसार नामांकन आमंत्रित करते हुए सामान्यतया प्रतिवर्ष केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य-सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक परिपत्र जारी किया जाता है। अपेक्षित सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में (गैर-सरकारी संगठनों) के लिए **अनुबंध-I** और (वैयक्तिक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता) हेतु **अनुबंध-II** पर प्राप्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कुछ समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाने के साथ-साथ इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिमा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है।

3. <u>**प्रस्ताव के विचारार्थ:**</u>

छानबीन समिति और चयन समिति इस पुरस्कार के लिए प्राप्त नामांकनों पर विचार करेगी। छानबीन समिति द्वारा छोटे गए नामांकनों पर अंततः चयन समिति द्वारा पुरस्कार के लिए निर्णय लिया जाएगा।

खंड - V: <u>प्रस्तावों का मूल्यांकन</u>

1. कोई भी कार्य, उपलब्धि या योगदान तब तक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि छानबीन समिति और चयन समिति के मत में यह कार्य सिविल अधिकार संरक्षण को प्रोत्साहित करने और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार अपराधों के निवारण के निमित्त कार्य में उत्कृष्ट प्रकार का न हो। नामांकनों पर विचार करते हुए, खंड-I में वर्णित विस्तृत पैरामीटरों को ध्यान में रखा जाएगा ।

2. किसी गैर-सरकारी संगठन या वैयक्तिक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार अपराधों का मुकाबले करने के लिए आयोजित कोई व्यापक मान्य और प्रेरक जन आन्दोलन जिसने समाज को काफी प्रभावित किया हो, पर भी पुरस्कार का निर्णय करते हुए ध्यान में रखा जाएगा ।

खंड - VI : प्रस्तावों की जांच

1. वर्ष के लिए पुरस्कार हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच इस उद्देश्य के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा नियुक्त जांच समिति द्वारा की जाएगी ।

2. जांच समिति में सात सदस्य हैं जो सभी भारतीय राष्ट्रिक होंगे ।

3. इस जांच समिति के विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार अध्यक्ष होंगे । जांच समिति के अन्य सदस्य इस प्रकार होंगे :

(i) संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव, अनुसूचित जाति विकास प्रभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, (पदेन सदस्य);

(ii) संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, (पदेन सदस्य);

(iii) संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सेल, गृह मंत्रालय, (पदेन सदस्य);

(iv) संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (पदेन सदस्य);

(v) पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों से दो प्रतिनिधि जो जागरूकता सृजन और अत्याचार के पीड़ितों को सहायता देने में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हों । तथापि, ऐसे गैर-सरकारी संगठन न तो पुरस्कार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे न हीं चयन समिति में सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व करेंगे ।

4. जांच समिति के गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी । तीन वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसे नामित सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे । तथापि सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे ।

5. यदि जांच समिति के नामित गैर-सरकारी सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं या उनकी मृत्यु होती है या अन्यथा त्यागपत्र देते हैं या अपने कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पूर्व अपनी सदस्यता छोड़ते हैं तो उस कार्यकाल की असमाप्त अवधि के लिए उनके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नियुक्त किया जाएगा ।

6. जांच समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार के संयुक्त सचिव को यथा लागू यात्रा और दैनिक-भत्ता के हकदार होंगे । तथापि, हवाई यात्रा किफायती श्रेणी में सबसे छोटे मार्ग द्वारा की जाएगी और ऐसी एयरलाइन द्वारा की जाएगी जिससे केन्द्र सरकार के अधिकारियों को बिना छूट के यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई है।

7. जांच समिति में किसी रिक्त पद अथवा बैठक में किसी सदस्य की अनुपस्थिति से समिति अथवा इसके निर्णय अमान्य नहीं होंगे।

8. जांच समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा पुष्टि की शर्त पर नहीं होगा और जांच समिति के विरुद्ध कोई अपील या विरोध निहित नहीं होगा ।

खंड - VII : पुरस्कार के लिए चयन

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा पुरस्कार के लिए अंतिम चयन किया जाएगा ।

2. इस चयन समिति में नौ सदस्य होंगे जो भारतीय राष्ट्रिक होंगे ।

3. माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अध्यक्ष होंगे । चयन समिति के अन्य सदस्य इस प्रकार होंगे :

(i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग(एनसीएससी); अथवा एनसीएससी के अध्यक्ष द्वारा नामित एनसीएससी का एक सदस्य;

(ii) अध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग(एनसीएसके); अथवा एनसीएसके के अध्यक्ष द्वारा नामित एनसीएसके का एक सदस्य;

(iii) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य;

(iv) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सुझाए अनुसार अनुसूचित जाति के दो संसद सदस्य जिनकी नियुक्ति तीन वर्ष अथवा संबंधित सभा में उनकी अवधि/नामांकन समाप्त होने तक होगी;

(v) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नामित विख्यात गैर-सरकारी संगठनों के प्रमुख में से दो सदस्य;

(vi) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नामित मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं में से दो सदस्य;

(vii) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (पदेन सदस्य) ।

4. यदि चयन समिति का नामित गैर-सरकारी सदस्य सेवानिवृत्त या मृत्यु या अन्यथा त्यागपत्र देता है या अपना कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपनी सदस्यता छोड़ता है तो तीन वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए उसके स्थान पर अन्य सदस्य की नियुक्ति की जाएगी ।

5. चयन समिति में किसी रिक्त पद अथवा बैठक में किसी सदस्य की अनुपस्थिति से समिति अथवा इसके निर्णय अमान्य नहीं होंगे।

6. चयन समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार के संयुक्त सचिव को यथा लागू में यात्रा और दैनिक-भत्ता के हकदार होंगे । तथापि, हवाई यात्रा किफायती श्रेणी में सबसे छोटे मार्ग द्वारा की जाएगी और ऐसी एयरलाइन द्वारा की जाएगी जिससे केन्द्र सरकार के अधिकारियों की बिना छूट के यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई है।

7. चयन समिति का निर्णय बहुमत से अथवा सहमति से होगा । दोनों तरफ समान मतदान की स्थिति में किसी बैठक-विशेष की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष का मतदान निर्णायक होगा ।

8. चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और कोई अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की शर्त पर नहीं होगा तथा चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील या विरोध स्वीकार्य नहीं होगा ।

9. अंतिम रूप से चयनित विजेताओं का पूर्ववृत्त सरकारी एजेंसी के द्वारा सत्यापित किया जाएगा और प्रतिकूल अभिमत की स्थिति में, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन से उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

खंड - VIII : <u>पुरस्कार दिया जाना</u>

1. पुरस्कार, जहां तक संभव है, नई दिल्ली में दिए जाएंगे।

2. प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पुरस्कार की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा ।

3. पुरस्कार विजेता को अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और यदि वह चाहे, पुरस्कार के लिए स्वीकृत कार्य से संबंधित विषय पर एकत्र व्यक्तियों को संबोधित कर सकता है।

4. पुरस्कार राशि का भुगतान : सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आदाता के खाते में डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/भुगतान आदेश के माध्यम से पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार की राशि का भुगतान करेगा ।

5. **पुरस्कार को अस्वीकार करना** : पुरस्कार की घोषणा से पूर्व, भावी पुरस्कार विजेता अथवा संस्थान की सहमति सुनिश्चित की जाएगी । तथापि, ऐसी सहमति प्राप्त हो जाने के पश्चात् यदि कोई विजेता पुरस्कार लौटाता है, तो पुरस्कार राशि तत्काल सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को लौटा दी जाएगी । यदि कोई विजेता पुरस्कार को स्वीकार करता है लेकिन वित्तीय लिखत की वैधता अवधि के भीतर राशि आहरित करने में असमर्थ होता है, तो यह राशि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को वापस चली जाएगी ।

खंड - IX : सामान्य

1. जाचं/चयन समिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का कोई भी सदस्य संहिता में संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए सक्षम है । तत्कालीन निर्णायक मंडल यह निर्णय लेगा कि ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिए या नहीं लेकिन इस तरह प्रस्तावित परिवर्तन को तब तक संहिता में समाविष्ट नहीं किया जाएगा, जब तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सहमति नहीं मिलती है तथा यह इस संबंध में उपयुक्त पत्राचार जारी होने की तारीख से लागू होगा ।

2. पुरस्कार के लिए आवश्यक धन तथा इस पर होने वाले सभी व्यय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक व्यय शीर्ष से उपलब्ध कराया जाएगा ।

3. पुरस्कार के लिए सचिवालयीय सहायता सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अथवा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर नामित ऐसी अन्य किसी एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी ।

अनुबंध-I

अस्पृश्यता को दूर करने और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों से निपटने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु गैर-सरकारी संगठनों की के नामांकन के लिए प्रपत्र

1. गैर-सरकारी संगठन का पूरा नाम, पदनाम और पूरा पता

2. निजी अथवा किराये के परिसर में कार्य कर रहा है

3. संचार के अन्य माध्यम
   (i) लैंडलाइन फोन नं0
   (ii) मोबाइल नं0
   (iii) फैक्स नं0
   (iv) ई-मेल पता

4. विशेषज्ञता का क्षेत्र
   (कृपया उद्देश्यों और उप-विधियों सहित ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद संलग्न करें)

5. मूल संगठन/पंजीकृत निकाय का नाम (पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

6. प्रबंधक समिति और इसके सदस्यों की योग्यता का ब्यौरा

7. प्रबंधक समिति में अनुसूचित जाति के सदस्यों का प्रतिशत

8. गैर-सरकारी संगठनों के कर्मचारियों की कुल संख्या

9. वार्षिक आम सभा की बैठक के पिछले तीन वर्षों के कार्यवृत्त की प्रतियां संलग्न करें ।

10. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें संलग्न करें

11. पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित लेखों की प्रतियां संलग्न करें

12. वित्त पोषण के स्रोत का उल्लेख करें

13. वह तारीख जिस दिन प्रबंधक समिति के सदस्यों का अंतिम चुनाव किया गया

14. अस्पृश्यता को मिटाने और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों के अपराधों को रोकने के क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में किए गए उत्कृष्ट कार्य के ब्यौरे का उल्लेख करें

15. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान का ब्यौरा, यदि कोई हो (प्रशस्ति पत्र संलग्न करें)

16. पुरस्कार का औचित्य

<u>अनुबंध-II</u>

अस्पृश्यता को दूर करने और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों से निपटने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं के नामांकन के लिए प्रपत्र

1. पूरा नाम और पता

2. संपर्क के अन्य माध्यम
   (i) लैंडलाइन फोन नं0
   (ii) मोबाइल नं0
   (iii) फैक्स नं0
   (iv) ई-मेल पता

3. शैक्षिक योग्यता

4. अध्ययन/अनुसंधान का विषय

5. विशेषज्ञता का क्षेत्र

6. व्यावसायिक अनुभव का ब्यौरा (क्षेत्र और कालक्रमानुसार वर्षों की संख्या)

7. अस्पृश्यता और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों से निपटने के क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य के ब्यौरे का उल्लेख करें

8. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान का ब्यौरा यदि कोई हो, (प्रशस्ति पत्र संलग्न करें)

9. पुरस्कार का औचित्य